

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 1981 अथवा 19, 1903

No. 143] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 1981/CALCUTTA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग-अलग को रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1981

सा० का० नि० 285(अ):—केन्द्रीय सरकार, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विद्युत शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं० सा० का० नि०

282 (अ), तारीख 5 अप्रैल 1976 में निम्नलिखित ओर संशोधन करनी है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 96 और नस्लवर्गी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

1	2	3
"97	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जनजाति अनुसंधान संस्था, मिजोरम	समपूर्ण भिक्षात्मक एवं राज्यदेव"

[सं 20/30/79-पुरा०]

श्रीमती देवला मित्र प्रवर महुनिदेशक

DEPARTMENT OF CULTURE

Archaeological Survey of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1981

G.S.R. 285(E) :—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972) the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Education and Social Welfare (Archaeological Survey of India, No. G.S.R. 282(E) dated the 5th April, 1976, namely

In the said notification, in the Table, serial number 96 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely

1	2	3
"97	Senior Research Officer, Tribal Research Institute, Mizoram.	Whole of the Union Territory of Mizoram "

[No. 20/30/79-Ant.]

Mrs. D. MITRA, Additional Director General